

नेशनल/मेगा लोक अदालत दिनांक 12 दिसंबर-2015, गोहद
तहसील न्यायालय गोहद जिला भिण्ड खण्डपीठ क्रमांक-21
 (समक्ष: पी0सी0आर्य)

क्लेम प्रकरण क्रमांक: 36/2015

संस्थित दिनांक-16.09.2015

फाइलिंग नं-230303009722015

सुनील पुत्र सीताराम कुशवाह आयु 40 साल
 निवासी कनीपुरा पुलिस थाना गोहद चौराहा
 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....आवेदक

विरुद्ध

1- बृजमोहन शर्मा पुत्र अलबेल शर्मा
 निवासी ग्राम भगवासा पुलिस थाना
 गोहद परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....वाहन चालक

2- सोनेराम गुर्जर पुत्र रामस्वरूप गुर्जर
 निवासी सुनारीपुरा थाना एण्डोरी
 परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....वाहन मालिक

.....अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री आर0सी0 यादव अधिवक्ता ।

अनावेदक क्रमांक-1 व 2 द्वारा श्री अरविन्द शर्मा अधिवक्ता ।

-:- अधि-निर्णय -:-

(आज दिनांक 12/12/2015 को नेशनल/मेगा लोक अदालत में घोषित)

1. आज इस खण्डपीठ के समक्ष मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक-36/15 नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत हुआ जिसमें प्रकरण के पक्षकारानगण आवेदक सुनील एवं अनावेदक क0-1 व 2 बृजमोहन शर्मा एवं सोनेराम गुर्जर के मध्य इस आशय का समझौता हुआ है कि दिनांक 23.01.15 को गोहद थाना क्षेत्रांतर्गत कनीपुरा तिराहा से आगे अनावेदक क्रमांक-2 के स्वामित्व की टी0व्ही0एस0 स्टारसिटी मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-30एमबी-1378 से हुई सड़क दुर्घटना में आवेदक गंभीर रूप से घायल हुआ जिसके द्वारा क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया था। नेशनल लोक अदालत में दोनों पक्षों के मध्य दुर्घटना में पहुंची शारीरिक क्षतियों की पूर्ति बाबत एकमुश्त राशि बीस हजार रुपये में उभयपक्षों के मध्य स्वेच्छापूर्वक समझौता हो गया है तथा प्रकरण व्यय

एवं ब्याज भी नहीं चाहा है। समझौता मुताबिक क्षतिपूर्ति की राशि बीस हजार रुपये अनावेदकगण क्रमांक-1 व 2 ने आज ही आवेदक को अदा भी कर दिये हैं।

2. पक्षकारों के मध्य प्रस्तुत हुआ समझौता विधिसम्मत होकर स्वेच्छापूर्वक किया जाना पाया गया है। आवेदक की पहचान श्री आर0सी0 यादव एड0 द्वारा की गई है। तथा अनावेदकगण की पहचान श्री अरविन्द शर्मा एड9 ने की जिससे मूल मोटर दुर्घटना दावा की तुष्टि हो जाती है। अतः समझौता विधिसम्मत और स्वेच्छापूर्वक होने से वाद विचार स्वीकार किया जाता है।
2. समझौता हो जाने से प्रकरण व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया ।

(पी0सी0 आर्य)

पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क्र0-21

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

(के0पी0 राठौर)

(सदस्य)

खण्डपीठ क्र0-21

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

(अवध विहारी पाराशर)

(सदस्य)

खण्डपीठ क्र0-21

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)